

दिनांक 19.11.2015

प्रेस रिलीज

मेट्रो यात्रियों से धोखाधड़ी करने वाले टिकिट स्टाफ को नौकरी से हटाया।

जयपुर मेट्रो अपने यात्रियों के सुझाव एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु हमेशा संवेदनशील रहा है। दिनांक 18.11.2015 को श्यामनगर मेट्रो स्टेशन निरीक्षण के दौरान परिचालन एवं प्रणाली निदेशक से तीन यात्रियों ने अपनी वापसी यात्रा के दौरान शिकायत की कि चांदपोल से श्याम नगर यात्रा के समय चांदपोल टिकिट ऑफिस के स्टाफ को उन्होंने निर्धारित 10 रूपया प्रति यात्री किराया दिया, लेकिन श्याम नगर स्टेशन निकास के समय उनके टोकन में 10 रूपये के स्थान पर 5 रूपये की राशि ही होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सके तथा उन्हें 5 रूपया प्रति यात्री कुल 15 रूपये पेनल्टी देनी पड़ी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल चांदपोल स्टेशन पर सेवा प्रदाता कम्पनी के संबंधित टिकिट स्टाफ के पास उपलब्ध धनराशि की जांच में 15 रूपये अधिक पाये गये।

परिचालन एवं प्रणाली निदेशक सी.एस. जीनगर ने संबंधित तीनों यात्रियों से टिकिट स्टाफ की इस गलती के लिए अफसोस जाहिर करते हुए उन्हें वापसी में चांदपोल लौटने पर स्टेशन कन्ट्रोलर के मार्फत 15 रूपये की पेनल्टी राशि वापस दिलवाई। इस हेतु तीनों यात्रियों ने मेट्रो प्रबन्धन की इस कार्यवाही पर खुशी जाहिर की।

परिचालन निदेशक द्वारा सेवा प्रदाता कम्पनी पर 1000 रूपये की पेनल्टी लगाने के साथ ही संबंधित टिकिट स्टाफ को मेट्रो सेवा से निष्कासित कर दिया।

जीनगर ने बताया कि जयपुर मेट्रो के सभी 9 स्टेशनों के दोनो तरफ ग्राहक सहायकों के साथ ऑटोमेटिक टिकिट वेंडिंग मशीनें लगी हुई हैं, जिससे 80 प्रतिशत से ज्यादा यात्री अपना टिकिट स्वयं खरीद रहे हैं, इससे यात्रियों से अधिक किराया राशि लेकर कम किराया राशि का टिकिट जारी करने की संभावना नगण्य है। मेट्रो प्रबन्धन अपने सम्मानित यात्रियों से निवेदन करता है कि इस तरह के किसी भी प्रकरण में वह अपनी शिकायत मौखिक एवं लिखित में संबंधित स्टेशन कन्ट्रोलर को तत्काल दें, ताकि ऐसे मामलों में निरोधात्मक कार्यवाही के साथ पूर्ण विराम लगाया जा सके।

जनसम्पर्क अधिकारी